माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 7 अप्रैल, 2020 को सायं 5.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री सत्य गोपाल, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ..... **सदस्य**
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली.....**सदस्य**।
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

आइटम नंबर 1:– कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, उपचार, न्यूनीकरण और स्थानांतरण के संबंध में जांच करना

दिनांक 28.03.2020 की अंतिम बैठक में कैदियों की **सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, उपचार, न्यूनीकरण एवं स्थानांतरण** के संबंध में लिए गए निर्णयों के विषयों में जानकारी (फीडबैक) मांगी गई थी, ताकि **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके और जेल परिसर में कैदियों के मध्य **सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग)** का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों का **गहनतापूर्वक** पालन किया जा रहा है। उन्होने अध्यक्ष को अवगत कराया कि जेलों में काम करने वाले कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और सामाजिक दूरी का पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल और टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि सभी उपाय जैसे कि **अलगाववादी वार्ड,** नए कैदियों को **एकांत** में रखने के साथ साथ कोविड–19 के लिए कैदियों की **प्रारंभिक जांच** का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे बताया कि इन दिनों औसतन 25–30 नए कैदियों को जेल भेजा जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने आगे बताया कि 21 साल से ऊपर के नए पुरूष कैदियों के लिए तिहाड़ में जेल नंबर 2 और मंडोली में जेल नंबर 13 में एक अलग से वार्ड बनाया गया है। उन्होने बताया कि ऐसे सभी नए

कैदियों को क्रमशः तिहाड़ और मंडोली के जेल नंबर 2 और 13 के इन दो वार्डों में रखा जाएगा जबकि नए महिला कैदियों के लिए जेल नबंर 6 में अलग अलग अलगाव वार्ड बनाए गए हैं। 18 से 21 साल के बीच के पुरूष कैदियों को तिहाड़ के जेल नंबर 5में रखा जाएगा।ये ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि नए कैदी को अंदर के कैदियों से **घुलने मिलने से रोका** जा सकें।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जेल के अंदर बनने वाले साबुन, लिक्विड सोप, फिनाइल, मास्क और सैनिटाइजर सभी जेलों में रखने के अतिरिक्त जेजेबी और ऑब्जर्वेशन होम से प्राप्त मांग के अनुसार इन सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में वहां भेजा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में कोविड–19 (नोवेल कोरोना वाइरस) के प्रकोप को रोका जा सके।

कमेटी महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम नंबर 2 :– जेलों में भीड़ कम करने के लिए उठाए गए पूर्ववर्ती मापदंडों के प्रभाव का जायजा

दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारादिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश के आधार पर पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार बंदियों को रिहा किया गया। माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में और साथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर दिनांक 28.03.2020 को समिति के समक्ष रखा गया। समिति के द्वारा उसका अवलोकन किया गया जो कि निम्नाकिंत है –

आइटम नंबर 2 (ए) : दोषियों की पैरोल के संबंध में

दोषियों की पैरोल के संबंध में	
जारी किए गए आदेशों की कुल संख्या	686
छोड़े गए अपराधी	650
प्रक्रिया के अधीन केस	261
नोटः हालांकि 686 दोषियों की रिहाई के संबंध में आपातकालीन पैरोल के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन उनमें से कुछ छोड़े नही गए हैं क्योंकि उनमें से कुछ अनइच्छुक हैं और कुछ पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के निवासी हैं।	

समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 23.02.2020 की अधिसूचना संख्या F.18/191/2015/HG/1379/1392 पर विचार किया। जिसमें दिल्ली जेल नियम,2018 में संशोधन किया गया था और **नियम 1212 ए** में **आपातकालीन पैरोल** का प्रावधान जोडा गया है। कोरोना वायरस के अभूतपूर्व और असाधारण स्थिति से निपटने के लिए उसी क्रम में आदेश सं. F.18/191/2015/HG/1428-1438 दिनांक 27.03.2020 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जेल नियम 1211 के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर दिनांक 30.04.2020 तक के सभी मामलों में महानिदेशक (जेल) को आपातकालीन पैरोल देने की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

यह इस अधिसूचना और उसके परिणामस्वरूपराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा पारित आदेशों पर आधारित है।इस समिति के दिनांक 28.03.2020 की बैठक के कार्यवृत्त और महानिदेशक (जेल) के आश्वासन पर एक **निर्णय** पारित किया गया कि पात्र दोषियों को आठ सप्ताह की अवधि के लिए आपातकालीन पैरोल दी जाए।महानिदेशक (जेल) के अनुसार **आपातकालीन पैरोल**के लिए योग्य दोषियों कर संख्या **1500** थी। हालांकि प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अब जक केवल **650** दोषियों को रिहा किया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) और प्रमुख सचिव, (गृह) को आगाह किया कि पात्र दोषियों को **आपातकालीन पैरोल** पर रिहा करने में किसी भी प्रकार की देरी, जेल में भीड़ कम करने की कवायद के पूरे प्रयास को विफल कर देगी।

महानिदेशक (जेल) और प्रमुख सचिव, (गृह) ने अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे पात्र दोषियों को **आपातकालीन पैरोल** देने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे।

यह निर्णय लिया गया कि इस प्रक्रिया को **तीन दिनों के भीतर** पूरा किया जाए।

आइटम नंबर 2 (बी) विचाराधीन कैदियों की अंतरिम/नियमित जमानत के संबंध में

(बी)विचाराधीन कैदियों की अंतरिम/नियमित जमानत के संबंध में	
मानदंड के अनुसार आवेदन की संख्या	1475
दिनांक 06.04.2020 तक जमानत प्रदान करने के आदेश	823
विचाराधीन कैदी जो पहले ही छूट चुके हैं।	775
नोटः हालांकि, अंतरिम जमानत आदेश 823 विचाराधीन कैदियों के संबंध में जारी किए गए हैं लेकिन उनमें से कुछ स्थायी पता न होने के कारण नही छोड़े जा सके, वे आवारा हैं और कुछ विचाराधीन कैदी अनिच्छुक हैं।	

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि पैनल अधिवक्ता दैनिक आधार पर जेल परिसर का दौरा करतें है और उन्होने अंतरिम जमानत के लिए लगभग 1500 प्रार्थना पत्र ड्राफ्ट और दायर किए (दिनांक 06.04.2020 तक 1475 सटीक थे)। समिति को आगे सूचित किया गया कि कि इन जमानत आवेदनों में से लगभग 823 मामलों में अंतरिम जमानत पहले ही दी जा चुकी है और उम्मीद है कि एक या दो दिनों में 100 से अधिक विचाराधीन कैदियों को आवेदन के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाएगी, जो कि विचार हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। हालांकि जेल प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी विचाराधीन कैदी जिनके संबंध में जमानत के आदेश पारित किए गए हैं विभिन्न कारणों से नही छोड़े जा सके हैं।

माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) और प्रमुख सचिव, (गृह) को निर्देश दिया कि जेल प्रशासन/जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाए कि वे न्यायालय से जमानत के आदेश प्राप्त होते ही **तुरंत** विचाराधीन कैदी को छोड़ना सुनिश्चित करें और मीटिंग दिनांक 28.03.2020 में लिए गए निर्णयों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर जेल से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित करें।

आइटम नंबर 2 (सी) :– सजा की छूट

(सी) सजा की छूट	
पिछली बैठक दिनांक 28.03.2020 में अपनाए गए प्रस्ताव के अंतर्गत कितने दोषियों की सजा में छूट प्रदान की गई।	शून्य

माननीय अध्यक्ष ने दोषियों की सजा में छूट देने के संबंध में दिनांक 28.03.2020 की बैठक में अपनाए गए **प्रस्तावों** के क्रियान्वयन न करने के लिए **गहरी निराशा** और **नाराजगी** व्यक्त की है। प्रमुख सचिव (गृह) ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि दिनांक 28.03.2020 की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सजा मे छूट देने का आवश्यक आदेश दिया है। उन्होंने आगे **आश्वासन** दिया कि उक्त आदेशों को दिन के दौरान डी.जी.(जेलों) को सूचित किया जाएगा।

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि वह इस प्रक्रिया में तेजी लाएगा और जिस कार्य के लिए इस समिति का गठन किया गया है उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिएराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आदेश प्राप्त होते ही**दो तीन दिनों** में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

आइटमनंबर 3: अंतरिम जमानत के मद्देनजर जो कैदी छोड़े जा सकतें हैं उनके लिए एक नए वर्ग का निर्धारण

समिति के सदस्यों ने इस बात का ध्यान रखा है कि पहले अपनाए गए मानदंडों के आधार पर आज तक लगभग 1500 कैदियों/दोषियों/विचाराधीन कैदियों को **पैरोल/अंतरिम जमानत** पर रिहा किया गया है।

इसको दृष्टि मे रखते हुए समिति की राय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए मानदंडों को **और लचीला बनाने** की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर महानिदेशक (जेल) से अनुरोध किया गया था कि वे सूचना प्रस्तुत करें और उसके **प्रभावी विश्लेषण** जैसे कि विचाराधीन कैदियों के लिए लचीले मानदंड प्रस्तावित करें। तदानुसार उसे प्रस्तुत करें।

समिति के सदस्यों ने चर्चा की और यह निर्णय लिया कि आज जिन परिस्थितियों में हम है उन परिस्थितियों को देखते हुए **व्यक्तिगत बांड** पर कैदियों की निम्नलिखित श्रेणियों को **45 दिनों** के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है:

1. *विचाराधीन कैदियों के तहत जो 60 या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और **6 महीने या उससे अधिक समय** तक हिरासत में हैं ऐसे मामले में मुकदमें का सामना करतें है जो अधिकतम **10 साल** या उससे कम की सजा सुनाता है।*
2. *विचाराधीन कैदी जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है और **एक वर्ष या उससे अधिक समय** से हिरासत में हैं ऐसे मामले में मुकदमें का सामना कर रहें है जिसमें अधिकतम **10 साल** या उससे कम की सजा हो।*
3. *विचाराधीन कैदी/रिमांड कैदी जिनके संबंध में अभी तक चार्जशीट दाखिल नही की गई है जो 15 दिनों या उससे अधिक समय से हिरासत में हैं, ऐसे मामले में मुकदमें का सामना कर रहें है जिसमें अधिकतम **7 साल** या उससे कम की सजा का प्रावधान है।*

आगे यह भी **निर्णय** लिया गया कि विचाराधीन कैदियों की निम्नलिखित श्रेणी यदि उपरोक्त मानदंडों के अंतर्गत आते भी हैं तो भी उन पर **विचार नही** किया जाएगा।

1. *वे विचाराधीन कैदी जिनका एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए परीक्षण चल रहा है।*

2. *वे विचाराधीन कैदी जो पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
3. *वे विचाराधीन कैदी जो धारा 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी और 376 ई और एसिड हमले के तहत अपराधों के लिए मुकदमें का सामना कर रहें हैं।*
4. *वे विचाराधीन कैदी जो विदेशी नागरिक हैं।*
5. *वे विचाराधीन कैदी जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी अधिनियम)/ पीएमएलए के तहत मुकदमें का सामना कर रहें हैं, और*
6. *CBI / ED / NIA / दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, SFIO आतंकवाद से संबंधित मामलों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत मामलों में जांच चल रही है।*

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इन नए मानदंडों के आधार पर लगभग **973 अधिक विचाराधीन कैदी** लाभान्वित होंगे और उनकी रिहाई से जेल की आबादी भी कम होगी।

समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 28.03.2020 की बैठक के आधार पर अपनाए गए मानदंडों के आधार पर जो जेल की आबादी दिनांक 25.03.2020 को **17,552** थी वह दिनांक 07.042020 को धटकर **16,179** हो गई है। उक्त मानदंडो के पूर्ण कार्यान्वयन पर यह और धटकर लगभग **15,500** पर आ जाएगी। अध्यक्ष को पुनः सूचित किया जाता है कि आज यहां अपनाए गए मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों/रिमांड कैदियों को **अतंरिम जमानत** पर रिहा करने पर एक सप्ताह के भीतर ही यह आबादी और धटकर **14,500** रह जाएगी।

अध्यक्ष ने डीएसएलए के सदस्य सचिव को निर्देश दिया कि वे लचीले मानदंड के भीतर आने वाले विचाराधीन कैदियों के आवेदनों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं।

समिति के अध्यक्ष ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे जिला न्यायाधीशों से अनुरोध करें कि वे जेल में जाने वाले डयूटी मजिस्ट्रटों के साथ–2 न्यायालय के डयूटी मजिस्ट्रटों को इन आवेदनों को लेने का निर्देश दें। यदि विचाराधीन कैदी जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वे जेल अधीक्षक की संतुष्टि होने पर **व्यक्तिगत बांड** पर रिहा हो सकतें हैं, ताकि सरकार की सामाजिक दूरी की नीति का पालन किया जा सके।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020 की बैठक में विचाराधीन कैदियों को **अंतरिम जमानत** पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गईयोजना

अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को **प्रभावित नही** करेगी। जो विचाराधीन कैदी **इन श्रेणियों में नही आते** हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकतें है। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकतें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को इस बात से अवगत कराया कि बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें विभिन्न सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने **जमानत दे दी** है लेकिन **श्योरिटी (Surieties) न होने के कारण** अभी भी जेल में हैं।

समिति के सदस्यों ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि वे विचाराधीन कैदी जिनके पक्ष में विभिन्न अदालतों के द्वारा जमानत के आदेश पारित किए गए थे वे कोविड–19 के प्रकोप और अदालतों के काम न करने के कारण जमानत बांड और श्योरिटी बांड प्रस्तुत करने में **अक्षम** है, ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत आदेश को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है इस सीमा तक कि वे व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर रिहा किया जा सकतें है। अन्य शर्तें, यदि कोई हैं तो वे अपरिवर्तित रहेंगी।

महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, अदालतों के कामकाज को केवल बहुत जरूरी मामलों तक ही सीमित रखा गया था इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिसूचना सं. 155/RG/DHC/2020 दिनांक 20.03.2020 जारी की थी। दिनांक 24.03.2020 को भारत सरकार द्वारा आदेश सं. 40-3/2020-DM-1(A)जारी किया गया था। जिसमें कोविड–19 को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए और दिनांक 25.03.2020 से 21 दिनों के लिए **देशव्यापी तालाबंदी** की धोषणा की गई।

इस प्रतिबंधित आंदोलन के कारण ऐसे विचाराधीन कैदियों को जमानत दिए जाने के बावजूद वे जमानत बांड प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभी भी जेलों में बंद हैं। समिति की साय है कि ऐसे विचाराधीन कैदियों के जमानत आदेशों को न्यायिक आदेश के द्वारा संशोधित किया जाना आवश्यक है। साधारणतया, जमानत आदेशों/शर्तों को संशोधित करने के लिए आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होती है। हालांकि असाधारण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है प्रत्येक विचाराधीन कैदी के द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत की मांग करने से समय की बर्बादी होगी और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के खिलाफ जा सकतें हैं।

इस प्रकार समिति की राय है कि **दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय** से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के जमानत आदेशों को संशोधित करने के लिए आज

की तारीख यानि 07.04.2020 से पहले या तो दिल्ली उच्च न्यायालय या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया था जिससे **श्योरिटी बांड की शर्त** के साथ संशोधन/दूर किया जाता है और इसके स्थान पर ऐसे विचाराधीन कैदियों को जेल अधीक्षक के संतुष्ट होने पर व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर छोड़े जा सकतें है।

हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति संबंधित अदालत द्वारा पारित जमानत आदेशों में लगाई गई किसी अन्य शर्त (यदि कोई है) को बदलने की **सिफारिश नही करती** है।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन सिफारिशों को इन कार्यवृत्त(Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश को पारित करने की स्थिति में, यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल अधीक्षक ऐसे विचाराधीन कैदी को संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत आदेश दिखाने पर ही व्यक्तिगत बांड पर रिहा करेगा।

आइटम नंबर 4: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस शीर्षक **Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19**दिनांक 23.03.2020 में इस कमेटी को न केवल जेलों में बल्कि रिमांड होम में भी भीड़ कम करने के उचित उपाय करने का निर्देश दिया है। इस समिति ने दिनांक 28.03.2020 के कार्यवृत्त में सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को निर्देश दिया था कि वह आर्ब्जवेशन होम में रहने वालों के विषय में सूचना एकत्र करेंजिसमें जधन्य अपराधों में शामिल सीसीएल(CCL) की संख्या तथा अन्य अपराधों में लिप्त बच्चों की संख्या अलग–2 हो। जिससे कि उचित कार्यवाही की जा सके।

हालांकि बाद में दिनांक 03.04.2020 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस शीर्षक "**Suo Moto Petition (Civil) No.4/2020- In Re : Contagion of COVID-19 VIRUS IN CHILDREN PROTECTION HOMES**",में JJBs, CWCs के साथ–2 CCIs को रिमांड होम और चिल्ड्रन होम में COVID- 19 (कारोना वायरस) के प्रकोप को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।

समिति को सूचित किया गया है कि दिल्ली के उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने के लिए उचित कदम उठा रही है। अतः इस समिति को इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नही है। हालांकि सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए जेजेबी और सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी एकत्र करें।

समिति के द्वारा कवंलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे सुनिशचित करें कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी से जुड़े रिटेनर अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन में जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को आवश्यक सहायता प्रदान करें।

बैठक के कार्यवृत्त का **पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल	**सत्य गोपाल**	**कंवलजीत अरोड़ा**
महानिदेशक (जेल)	**प्रमुख सचिव (गृह)**	**सदस्य सचिव**
		डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 07.04.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक,
डीएसएलएसए